(1100/UB/VB)

1100 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल।

प्रश्न संख्या 41 श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी।

…(व्यवधान)

1100 बजे

(इस समय श्री गुरजीत सिंह औजला, श्री गौरव गोगोई, श्री कल्याण बनर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

…(व्यवधान)

(Q.41)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): Sir, G.O. no. 107 dated 28th September, 2004 of erstwhile Andhra Pradesh states that the minimum drawdown level of Srisailam Dam is at 854 ft. because only at 854 ft., water can be given to Rayalaseema Districts, Nellore District, Prakasam District, and also to Chennai but Telangana GENCO is producing power at the level of 800 ft.… (*Interruptions*) After the hon. Chief Minister of Andhra Pradesh wrote to the Government of India, KRMB directed Telangana GENCO to stop the power generation. In spite of court's order, power generation is still continuing without maintaining water level in Srisailam Dam thereby badly affecting the Rayalaseema Districts, Nellore District, Prakasam District and Chennai also… (*Interruptions*) Considering the above facts, will the Government of India and KRMB strictly enforce the order passed by the KRMB to stop untimely power generation by Telangana GENCO, to protect the farmers' interests and to protect the right to drinking water of the people of Andhra Pradesh and Chennai City?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के किसानों को लेकर जो प्रश्न पूछा है, मैं उससे पूर्णत: सहमत हूँ।… (व्यवधान) केआरएमबी रेगुलेटरी बॉडी है, as per Andhra Pradesh Reorganisation Act. इस रेगुलेटरी बॉडी की 9th मीटिंग में यह तय किया गया था कि power generation will be incidental to irrigation and drinking water requirement. जब इरिगेशन और ड्रिंकिंग वॉटर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, केवल तभी बांध से पानी छोड़ा जाएगा।… (व्यवधान)

आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, इसके साथ ही उन्होंने केआरएमबी के चेयरमैन को भी पत्र लिखा था।… (व्यवधान) हमने उसके कंटैक्स्ट में प्रश्न का जवाब भी लिखा है।… (व्यवधान) हमने बार-बार केआरएमबी के माध्यम से भी और डायरेक्ट जेनको को लिखकर भी कहा गया है कि आप पॉवर जेनरेशन को तुरन्त बंद करें। लेकिन बंद करने के बजाए जेनको ने लिख दिया है कि अभी हम इसे बंद नहीं कर रहे हैं, फुल स्विंग पर तीनों प्लांट ऑपरेट करने चाहिए।… (व्यवधान) हमने एक बार फिर तेलंगाना सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इसे बंद किया जाना चाहिए।… (व्यवधान)

SHRI Y. S. AVINASH REDDY (KADAPA): In addition to this illegal and untimely drawal of water, Telangana Government is constructing Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme without taking any permission from CWC or KRMB and without getting environmental clearance… (*Interruptions*) In disguise of drinking water project, they are constructing massive lift irrigation project which will pump

90 tmc of water every year at the level of 800 ft. from Srisailam Dam through power generation from left bank, Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme, Kalwakurthy Lift Irrigation Scheme, Dindi and SLBC Tunnel Scheme. The Telangana Government will be able to draw or consume 8 tmc of water per day at the level of 800 ft. from Srisailam Dam. If Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme is completed, then the ayacut of SRBC, Telugu Ganga Project, K C Canal, GNSS, HNSS, Veligonda and also the drinking water needs of the Andhra Pradesh and Chennai will be at a very high risk as the minimum level to give water to the A.P. projects is 854 ft. except for GNSS which is at 834 ft. Keeping in view of the severe loss that is going to be caused to the people of Andhra Pradesh and Chennai City… (*Interruptions*), will the Government of India take stern measures to stop Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Scheme?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिन्स पर बने राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश री-ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के, कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोनों राज्यों के इंट्रेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी यानी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था।… (व्यवधान) लेकिन सात साल तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था।… (व्यवधान) दोनों बोर्ड्स अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए राज्य सरकारों से लगातार बातचीत करते हैं।… (व्यवधान)

(1105/IND/KMR)

हमने हाल ही में इस व्यवस्था को और अधिक सुचारु करने के लिए दोनों बोर्ड्स के ज्यूरीस्डिक्शन को नोटीफाई कर दिया है।… (व्यवधान) उस नोटीफिकेशन के बाद बोर्ड की शक्तियां और बढ़ेंगी तथा निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे।

अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना सीडब्ल्यूसी और भारत सरकार की अनुमति लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की परम्परा रही है और लगातार वह परम्परा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच तनाव का काम करती है।… (व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 48, 50 और 60 को प्रश्न 42 के साथ क्लब किया जाता है।

श्री बसंत कुमार पंडा

… (व्यवधान)

(प्रश्न 42, 48, 50 और 60)

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): अध्यक्ष जी, मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में मेरे ओडिशा प्रदेश के लिए इस साल 3323.24 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।... (व्यवधान) मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि नुआपड़ा जिले में बहुत समय से पाइप वॉटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस काम को स्पीड से करने की जरूरत है। कालाहाण्डी जिले में भी काम स्पीड-अप होना चाहिए।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आकांक्षी जिला को पाइप वॉटर सप्लाई में ज्यादा महत्व दें क्योंकि ओडिशा के पश्चिम जिलों में यह एस्पिरेशनल जिले में आता है।

... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार जल जीवन मिशन की सफलता और जन जीवन मिशन को चलाने के लिए व्यक्त किया है।... (व्यवधान) जल राज्यों का विषय है और सामान्य रूप से राज्यों को अपने जिलों में प्राथमिकता के साथ काम को सुनिश्चित करने का अधिकार है। हम लगातार सारे विषयों पर निगरानी रखते हुए मिलकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जहां तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, ऐसे जिलों को हमने प्राथमिकता के साथ जल जीवन मिशन में लागू करने के लिए काम आलरेडी प्रारम्भ कर दिया है।... (व्यवधान) मैं खुशी के साथ आप सभी के सामने और देश के साथ इस बात को साझा करना चाहता हूं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिस गति से काम किया है, उसके हिसाब से पूरे देश की एवरेज गति के कम्पेरिजन की दृष्टि से देखें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा कनेक्शन्स मिले हैं और ऐसे पिछड़े जिले, जो सामान्यत: विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उनके परिवारों की माताओं और बहनों को आजादी के 75वें वर्ष में हम ड्रजरी के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा पाएं, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सु. थिरुनवुक्करासर

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री निहाल चन्द चौहान

... (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने नदियों को दूषित करने वाली औद्योगिक ईकाइयों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की है।... (व्यवधान)

(1110/KDS/RCP)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नदियों में बढ़ते हुए दूषित पानी को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दंडित और निर्देशित करने हेतु जो काम किया गया है, उसकी रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को सौंपी गई है? ... (व्यवधान) क्या सीपीसीबी और पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी पीपीसीबी राजस्थान को ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं कि यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस सदन की अपनी मर्यादा है। आपको जनता ने तख्तियां दिखाने और नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप जनता की समस्या उठाएं, उन पर चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करने का प्रयास करें। मैं आपसे पुन: आग्रह करता हूं कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपको पर्याप्त समय और अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने-अपने आसन पर जाएं। यह सदन चर्चा और सवाल के लिए है। अगर तख्तियां दिखानी हैं और नारेबाजी करनी है, तो कृपया बाहर चले जाएं और वहां पर नारेबाजी करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। आप सदन में चर्चा करें और विषय उठाएं। तख्तियां दिखाना और नारेबाजी करना सदन में उचित नहीं है। यह सदन आपका है। इसकी मर्यादा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा, जब संसद में चर्चा और संवाद होगा।

[

... (व्यवधान)

(pp.6-30)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं कि आप सभी अपने-अपने आसन पर जाएं। जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं, उस पर मैं चर्चा कराने के लिए तैयार हूं। आप अपने-अपने आसन पर जाकर बैठें। आपको चर्चा करनी है या तख्तियां लहरानी हैं?

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/RK/CS)

1200 hours

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

1200 hours

(*At this stage, Shri Hibi Eden, Shri Kalyan Banerjee, Dr.T. Sumathy, Alias Thamizhachi Thangapandian, and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

… (*Interruptions*)

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, hon. Speaker has received notices of Adjournment Motion, on different issues, from some Members. Hon. Speaker has disallowed all the notices of Adjournment Motion.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I would request all the hon. Members to go back to their seats. The Chair has repeatedly said that the Government is agreeing to respond to all the issues and is agreeable for deliberations.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, I would again request you to go back to your seats and allow the House to function.

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats.

... (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : हम बार-बार यह कह चुके हैं कि सरकार सब विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है।... (व्यवधान) मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि विपक्ष ने कोविड के बारे में जो चर्चा माँगी थी, राज्य सभा में उस पर चर्चा भी हो गई है, हम यहाँ भी सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान) आप बताइए कि आप कौन से विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं।... (व्यवधान) हमारे बार-बार ऐसा बोलने के बाद भी प्रश्न काल स्थगित करना ठीक नहीं है।... (व्यवधान) प्रश्न काल सदस्यों का अधिकार है।... (व्यवधान) प्रश्न काल सदस्यों का हक है।... (व्यवधान) It is the right of the Members. In spite of that आप जो कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है।... (व्यवधान) When the Government is ready for discussion, the Government is ready to respond, पूरे माहौल को ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है।... (व्यवधान) मैं फिर से अपील करता हूँ कि the Government is ready for discussion. Kindly go back to your seats. You may tell the subject on which you want to have the discussion. This is what I would like to say on record.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Government has been repeatedly saying that it is agreeable for any subject to be discussed in the House. The Business Advisory Committee can finalise the subject and we can have discussion, as it happened in the other House. So, I would request all the hon. Members to go back to their seats and allow the House to function.

... (*Interruptions*)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1203 बजे

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : महोदय, इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति
तीसरा से आठवां प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : महोदय, मैं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का तीसरा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का चौथा प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का पांचवा प्रतिवेदन।

(4) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित "दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय" विषय संबंधी समिति (2019-20) का छठा प्रतिवेदन।

---

* **इन प्रतिवेदनों को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 13.06.2020 और 25.07.2020 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।**

(5) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय" के बारे में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का सातवां प्रतिवेदन।

(6) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "संघ राज्य क्षेत्रों, पीएसयू आदि सहित भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पदों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार में क्रीमीलेयर के युक्तिकरण" के बारे में समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति (2019-20) का आठवां प्रतिवेदन।

श्रम संबंधी स्थायी समिति

बीसवां से चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण" संबंधी बीसवां प्रतिवेदन।

(2) "टीवी/प्रसारण/डिजिटल मनोरंजन/विज्ञापन उद्योग कामगारों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण" विषय के संबंध में समिति के 44वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

(3) "शेड्यूल्ड/नॉन-शेड्यूल्ड/टेस्ट फ्लाइंग एयर ऑपरेटर/अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) कंपनियां/एयरपोर्ट ऑपरेटर - उनके कामगारों/कर्मचारियों, विशेष रूप से उनके

संदर्भ में जो नागर विमानन क्षेत्र में विमान की उड़ान से सम्बद्ध हैं, के लिए सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उपाय और मानदंड" विषय के बारे में समिति के 45वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।

(4) "नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि, ईएसआई और टीडीएस (आयकर आदि का) की कटौती और निक्षेप जमा के विहित उपबंधों का अनुपालन" विषय के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

(5) "भविष्य निधियों, पेंशन निधियों द्वारा बॉन्ड और ऐसे लिखतों - (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) का उदाहरण) में निवेश के दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और नियामक प्रणाली, स्थिति" विषय के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति
292वां प्रतिवेदन

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया) : महोदय, मैं "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021" के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति का 292वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1205/PS/KN)

MOTION RE: 22nd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Chairperson, Sir, I beg to move:

> "That this House do agree with the Twenty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 20th July, 2021."

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 20 जुलाई, 2021 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 22वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

HON. CHAIRPERSON: I once again request all the hon. Members to please clear the Well of the House.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats and allow the House to function.

Now, Bills to be introduced.

… (*Interruptions*)

INLAND VESSELS BILL

1206 hours

HON. CHAIRPERSON: Shri Sarbananda Sonowal.

…. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF AYUSH (SHRI SARBANANDA SONOWAL): Respected Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to promote economical and safe transportation and trade through inland waters, to bring uniformity in application of law relating to inland waterways and navigation within the country, to provide for safety of navigation, protection of life and cargo, and prevention of pollution that may be caused by the use or navigation of inland vessels, to ensure transparency and accountability of administration of inland water transportation, to strengthen procedures governing the inland vessels, their construction, survey, registration, manning, navigation and such other matters connected therewith or incidental thereto. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The Chair has received some notices opposing the introduction of the Bill. I call out their names.

Shri Kodikunnil Suresh … (*Interruptions*)

Shri Manish Tewari – Not present. … (*Interruptions*)

Shri Hibi Eden – He is in the Well of the House. … (*Interruptions*)

Shri Adhir Ranjan Chowdhury … (*Interruptions*)

Shri M.K. Raghavan … (*Interruptions*)

It seems that none of them is interested to oppose the Bill.

प्रश्न यह है :

"कि देश के भीतर अंतर्देशीय जलमार्गों और नौपरिवहन से संबंधित विधि को लागू करने में एकरूपता लाने, नौपरिवहन की सुरक्षा, जीवन और कार्गों के संरक्षण, और ऐसे प्रदूषण, जो अंतर्देशीय जलयानों के प्रयोग या नौपरिवहन द्वारा कारित होता है, के निवारण का उपबंध करने, अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने, अंतर्देशीय जलयानों, उनके निर्माण, सर्वेक्षण, पंजीकरण, कार्मिक आवश्यकता, नौपरिवहन को प्रशासित करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए अंतर्देशीय जल के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को संप्रवर्तित करने तथा उससे संसंक्त और उसके आनुषांगिक ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुरःस्थापित कीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

SHRI SARBANANDA SONOWAL: Sir, I introduce the Bill.

ESSENTIAL DEFENCE SERVICES BILL

1208 hours

HON. CHAIRPERSON: Now, I come to Item No. 8, the Essential Defence Services Bill, 2021.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Hon. Chairperson, Sir, with your permission, on behalf of the hon. Defence Minister, Shri Raj Nath Singh, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the maintenance of essential defence services so as to secure the security of nation and the life and property of public at large and for matters connected therewith or incidental thereto. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the maintenance of essential defence services so as to secure the security of nation and the life and property of public at large and for matters connected therewith or incidental thereto."

Some notices have been received opposing the introduction of the Bill. Shri Kodikunnil Suresh, do you have anything to say? Not present…. (*Interruptions*) Shri N.K. Premachandran, do you have anything to say?

… (*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I strongly oppose the introduction of the Bill as it is a draconian legislation to cut down the democratic and legitimate rights of the workmen in the country…. (*Interruptions*)

(1210/SMN/GG)

Sir, the provision in the Bill is to prohibit the strike. The Essential Defence Services Bill is violating the fundamental right guaranteed in Article 19 of the Constitution of India. The sole intention of the Bill is to curtail the democratic rights of the defence civilian workers. … (*Interruptions*)

Sir, the legitimate right of workers to strike is guaranteed in Industrial Disputes Act, 1947 and also in the latest Industrial Relations Code. The infringement of the legal right of the employees, that is, civilian defence employees, is a violation of all these rights as well as the provisions of the ILO Convention. … (*Interruptions*)

The ILO Conventions have already stated that right to strike is the legitimate democratic right of the working class in the country. It is being unilaterally curtailed. The entire purpose of this legislation is to cut down the democratic right of the working class in India. Hence, I strongly oppose this Bill and I also appeal to the Chairman that this is not the way by which a Bill is introduced when the House is not in order. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari – not present.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury … (*Interruptions*)

Prof. Shri Saugata Roy. He is not there. … (*Interruptions*)

Shri Gaurav Gogoi… (*Interruptions*)

Dr. Shashi Tharoor… (*Interruptions*)

Shri Thomas Chazhikadan… (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): माननीय मंत्री जी, आप कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं?

… (<u>व्यवधान</u>)

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, माननीय प्रेमचन्द्रन जी ने जो बातें अभी कही हैं, वे बिल्कुल तथ्यविहीन हैं। … (व्यवधान) कहीं से कहीं तक भी सरकार का इरादा ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को तंग किया जाए।… (व्यवधान) सारे कर्मचारी अधिकारी जितने भी लोग हैं, उनके हितों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है।… (व्यवधान) सर, सभी संरक्षित हैं और प्रोटेक्टेड हैं। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The Bill will be discussed on the floor of the House when it is taken up for consideration and passing.

प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और जनता के जान और माल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

ADV. AJAY BHATT: Sir, I introduce the Bill.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: मैं आपसे पुन: आग्रह करूंगा, प्लीज़ अपने-अपने स्थान पर चले जाएं और इस सदन को चलाने दीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (<u>व्यवधान</u>)

1203 बजे

<u>तत्पश्चात् लोक सभा चौदह बजे तक के लिए स्थगित हुई।</u>

(1400/SNB/RV)

1400 hours

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

…(*Interruptions*)

1400 hours

(*At this stage, Shrimati Mahua Moitra, Shrimati Ramya Haridas and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

… (*Interruptions*)

STATEMENT RE: ESSENTIAL DEFENCE SERVICES ORDINANCE – LAID

1400 hours

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (ADV. AJAY BHATT): Sir, I, with your kind permission, on behalf of the *Raksha Mantri,* Shri Rajnath Singh, beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Essential Defence Services Ordinance, 2021 (No. 7 of 2021).

… (*Interruptions*)

MATTERS UNDER RULE 377—LAID

1401 hours

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally handover approved text of the matter at the Table immediately.

… (*Interruptions*)

Re: One district one product Scheme

SHRI UNMESH BHAIYYASAHEB PATIL (JALGAON): The One District One Product Scheme under PM-FME seeks to promote food processing. My constituency of Jalgaon was also selected under this scheme for promotion of banana processing and export. In addition to this, Horticulture Cluster Development Programme was launched in pilot phase and will be implemented in 12 clusters covering 11 States/UTs. These decisions by the Government have been appreciated by the farmers and young entrepreneurs since these will generate employment and empower them. Jalgaon also has large number of farmers who produce lemon apart from banana and hence in order to achieve better infrastructure for lemon processing, I request the Government to include lemon under the One District One Product scheme for Jalgaon and also expand the pilot phase of Cluster development programe to include my constituency of Jalgaon which is a pioneer in export of banana and other citrus fruits along with horticultural products.

(ends)

Re:Need to provide compensation to farmers who suffered loss due to damage to their crops caused by Nilgai in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत क्रमशः दो जिले आते हैं पलामू एवं गढ़वा। विदित है कि दोनों जिलों के विभिन्न प्रखंडों यथा विश्रामपुर, केतात, पांडू, नावा बाजार, मेदिनीनगर, पाटन, छतरपुर, कांडी, मझिआंव सहित अन्य प्रखंड के किसानों की अरहर, मक्का, तिलहन एवं सब्जी की फसलों को नीलगायों के द्वारा बड़े पैमाने पर बर्बाद किया गया है। किसानों की फसल बर्बाद होने से वे कर्ज में डूब चुके हैं, ऐसा प्रतिवर्ष हो रहा है। किसानों की कठिनाइयों को देखते हुए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक टीम का गठन कर नुकसान हुई फसलों का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाय जिससे उनकी आर्थिक क्षति की कुछ हद तक भरपाई हो सके।

अतः महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि नीलगाय के द्वारा बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा प्रदान कराने की कृपा की जाय। (इति)

Re: Pre-poll alliance by political parties

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश में विभिन्न राजनैतिक दल चुनाव से पूर्व गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं और इस दौरान आम जनता के साथ वायदा/प्रतिबद्धता करते हुए चुनाव में विजय पाने के बाद अपने निजी हित में गठबंधन को दरकिनार करते हुए दूसरे राजनैतिक दल, जिनके साथ चुनाव के दौरान उनकी कड़ी प्रतिस्पर्धी रहती है, के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं, जो जनता के साथ घोर धोखाधड़ी है। प्राय: यह देखने में आया है कि भारत में राजनीतिक दलों की मूल प्रवृत्ति गठबंधन को कायम रखने की कम और निजी हित में उसे तोड़ने की ज्यादा रही है, जो आम जनता के साथ विश्वासघात है।

इस संबंध में, मैं विशेषत: महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां भाजपा व शिवसेना ने आपसी गठबंधन करके विधान सभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन शिवसेना ने चुनाव के पश्चात भाजपा से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस और एन.सी.पी., जो चुनाव में उसके कड़े प्रतिद्वंदी दल थे, के साथ गठबंधन सरकार बना ली। इस तरह के अन्य उदाहरण देश के अन्य राज्यों में भी समय-समय पर सामने आ चुके हैं।

अत: इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि देश के व्यापक हित में चुनाव से पूर्व जो भी राजनैतिक दल आपस में गठबंधन करके चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराने के पश्चात ही लोगों के सामने चुनाव में हिस्सा लेने हेतु जाना चाहिए और चुनाव के पश्चात यदि कोई भी राजनैतिक दल गठबंधन को दरकिनार करते हुए किन्हीं अन्य दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए अथवा उनके दलों के मान्यता रद्द की जानी चाहिए।

(इति)

Re: Need to develop tourist or pilgrimage sites in Satna district, Madhya Pradesh

श्री गणेश सिंह (सतना): मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में नमभूमि स्वास्थ्य कार्ड, नमभूमि मित्र का गठन और संकेन्द्रित प्रबन्धन योजना को नमामि गंगे कार्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय आद्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत नर्मदा नदी के तटवर्ती नमभूमियों पर पयर्टन और तीर्थ स्थल का विकास किया जाना है। मेरा आग्रह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना जिले में कई नमभूमि चिन्हित की गई हैं, सतना जिले में चित्रकूट और मैहर के आसपास स्थित टमस बराज बांध, बांणसागर बांध, गोविन्दगढ़ तालाब, मुकुन्दपुर तालाब, विष्णु सागर, धर्म सागर, सेमरावल नदी, टमस नदी, मन्दाकिनी नदी के तटवर्ती नमभूमि पर पर्यटन या तीर्थ स्थल विकसित किया जाय।

(इति)

Re: Quality of road construction work from Sandila to Mehandighat via Gausganj in Misrikh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर (उ0प्र0) के अतर्गत सण्डीला से गौसगंज होते हुए मेहंदीघाट तक नाबार्ड के वित्त पोषण से लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार संबंधित अभियंताओं से कथित सांठगांठ करके घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैंने अपने संसदीय भ्रमण के दौरान स्वयं पाया है कि उक्त सड़क के निर्माण में मानकों को दरकिनार करते हुए घटिया गुणवत्ता की सामग्री उपयोग में लाकर केन्द्रीय निधि का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि स्थानीय जनता में धूमिल हो रही है।

अत: मेरा अनुरोध है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य और वित्त राशि अविलंब रुकवाकर केन्द्रीय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके जांच करवाकर दोषी अभियंताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करके केन्द्रीय धनराशि के दुरुपयोग को रोकने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

(इति)

Re: Need to convert National Highway No. 19 passing through Aurangabad district in Bihar into six lane and also repair the river bridges which are part of the National Highway

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान औरंगाबाद (बिहार) से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -19 की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली इस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति उत्तरप्रदेश के वाराणसी से बिहार और झारखंड की सीमा तक अत्यंत ही दयनीय है। बिहार के औरंगाबाद में मदनपुर के पास एक बड़े खंड में बड़े -बड़े जानलेवा गड्ढे है जिससे इस खंड पर प्रतिदिन घंटों जाम लगा रहता है तथा दुर्घटनाएँ आम बात है। सड़क पर वाहनों के भारी दबाव के कारण इस चार लेन सड़क को छ: लेन सड़क में परिवर्तित करने का कार्य जारी है किन्तु कार्य की प्रगति की स्थिति धीमी और दयनीय है। मैंने स्वयं भी दर्जनो बार संबन्धित पदाधिकारी को पत्र लिखकर बार -बार स्थिति से अवगत कराया है किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिहार के डेहरी ऑन सोन में सोन नदी, उत्तर कोयल नहर एवं सोरहर तथा मोरहर नदियों पर बने पुलों की स्थिति भी जर्जर है।

आप के माध्यम से मेरी मांग है कि इस राजमार्ग को 4 से 6 लेन राजमार्ग में परिवर्तित करने के साथ – साथ उक्त नदियों पर बने पुलों को अविलंब दुरुस्त किया जाए।

(इति)

Re: Need to replenish ground water level in Jalore and Sirohi districts in Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर): जालोर और सिरोही जिला डार्क जोन मे है और भूजल स्तर मे लगातार गिरावट आ रही है। जल संकट से परेशान जालोर वासियो के लिए 1966 मे राजस्थान व गुजरात सरकार में हुए समझौते के अनरूप माही परियोजना चर्चा मे आया था, इसके बाद गुजरात सरकार ने राज्य को पानी की आवश्यकता का हवाला देते हुए पानी देने से मना कर दिया। वर्ष 1988 में आखिर बार इस पर मंथन किया गया। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सर्वे के बात कही थी लेकिन सरकार बदलने के साथ मामला अटक गया इस संबध में पॉच सदस्य टीम 2017 में गठित की गई थी, उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में है।

जालोर सिरोही जिला के गिरते भू-जल स्तर के स्थायी समाधन व जिले को हरा भरा बनाने के लिए माही बांध की वर्षो पुरानी प्रस्तावित योजना को मूर्त रूप देने की आवश्यकता है।

(इति)

Re: Need to provide adequate compensation to people affected by floods in Sheohar, Sitamarhi and East Chamaparan districts in Bihar

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदय,उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या एवं उसकी विभीषिका से यह सदन भली भांति परिचित है। बिहार देश का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है जहाँ का एक बड़ा हिस्सा हर साल बाढ़ की पानी में डूबता है। बाढ़ नियंत्रण के कारगर उपाय नहीं होने से इस आपदा से बिहार में हर साल लाखों लोग बेघर हो जाते है, फसलें तबाह हो जाती है और बड़ी संख्या में लोग मारे जाते है। इस बार भी मानसून की शुरुआत में ही मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले सहित उत्तर बिहार में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। मेरे क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त तीनों जिले के अधिकांश कृषि युक्त भूमि, खेत खलिहान एवं मकान जलमग्न हो चुके है, दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लोग खानाबदोश का जीवन जीने के लिए विवश है परन्तु,स्थानीय प्रशासन द्वारा कई प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है। जिससे वहां के किसानो एवं आम लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले राहत कार्यों से वंचित होना पड़ रहा है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार अनुरोध होगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले में आयी बाढ़ रूपी आपदा एवं इससे हो रहे नुकसान का आकलन कराते हुये लोगो को उचित राहत/मुआवजा उपलब्ध करायी जाये।

(इति)

Re: Need to expedite irrigation project for channelizing water of Telhar Kund to Jagdahwah dam in Kaimur parliament constituency, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): महोदय, बिहार के कैमूर जिलान्तर्गत सुअरा नदी के बाया दायां तटबंध पर ग्राम पड़री-पंचकुइयां के पास बांध बनाकर अधौरा प्रखंड के तेलहार कुण्ड का पानी को जगदहवां बांध में गिराने की शीघ्र आवश्यकता है। इस असिंचित एवं पिछड़े क्षेत्र में सिंचाई का एक मात्र स्त्रोत जगदहवां बांध ही है। इस संबंध में अनेकों पत्राचार द्वारा आग्रह किया गया है जिसके आलोक में मुझे अवगत कराया गया है कि बांध के निर्माण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा चुकी है। एस0जी0ई0 कंसल्टेंसी को डी0पी0आर0 तैयार कर तीन माह के भीतर समर्पित करना था तथा वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर एवं भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है, परन्तु विलम्ब के कारण किसानों /लोगों में निराशा नजर आने लगी है। वर्षों से सूखाग्रस्त क्षेत्र को जितना जल्द सिंचाई का साधन | स्त्रोत उपलब्ध होगा उतना ही किसानों को राहत मिलेगी।

अत: विशेष अनुरोध है कि विशेष अभिरूचि लेकर सदन के माध्यम से यथाशीघ्र उक्त सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता के आधार शीघ्र कार्यान्वित करने हेतु जलशक्ति मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(इति)

Re: Need to accelerate the pace of development of Bilaspur city, Chhattisgarh as a Smart City

श्री अरूण साव (बिलासपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, इसके लिए बिलासपुर वासियों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। परंतु छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाने, कार्यों में तेजी लाने हेतु गंभीर नहीं है। जिसके कारण इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब हो रहा है।

महोदय, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, रेलवे का जोनल मुख्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एस.ई.सी.एल. का मुख्यालय, एन.टी.पी.सी. जैसी जैसी संस्थाएं स्थित है , साथ ही यह पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व का शहर है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से बिलासपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु कार्यों में तेजी लाने की मांग करता हूँ।

(इति)

Re: Need to re-categorise certain Panchayats under Jamshedpur parliamentary constituency, Jharkhand as Gram Panchayats

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र ST सीट है। घाटशिला एवं मुसाबनी प्रखण्ड में घाटशिला के 8 पंचायत काशिदा, घाटशिला, पावड़ा, धर्मबहाल, गोपालपुर, मउभण्डार उत्तरी, मउभण्डार पूर्वी, मउभण्डार पश्चिमी, एवं मुसाबनी प्रखण्ड के 8 पंचायत उत्तरी ईचड़ा, दक्षिणी ईचडा, मुसाबनी पूर्वी, मुसाबनी पश्चिमी, उत्तरी बादिया, दक्षिणी बादिया, पूर्वी बादिया, पश्चिमी बादिया उक्त सभी पंचायतों में SC, ST, एवं अतिपिछडा, गरीब आदिवासी बाहुल्य लोग रहते है एवं उक्त क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित भी है। वर्ष 2011 की जनगनणा में त्रुटिवश इन पचायतों को शहरी कोड़ में डाल दिया गया है जबकि उसके आसपास में नगर निगम या अधिसूचित क्षेत्र नहीं है फिर भी किन कारणों से इतनी बड़ी आबादी को सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रखा गया है। वहां की जनता की वर्षों से मांग रही है कि उन्हें पूर्व की भांति ग्राम पंचायतों में ही रहने दिया जाय।

अतः महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उक्त सभी पंचायतों को शहरी कोड़ से हटाकर ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाय जिससे गाँवों में चल रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सहित अन्य केन्द्रीय योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सके।

(इति)

Re: Resumption of train services on Karaikudi -Tiruvarur BG Section

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR, (TIRUCHIRAPPALLI): The Karaikudi — Tiruvarur MG Section was taken up for BG conversion in 2012. After seven long years of completion, statutory clearances were accorded for operation in April 2019. Initially, DEMU train was operated on this route. Later, with the imposition of lockdown, the train service was suspended in March 2020 and not resumed yet.

The undue delay in resumption of train services in this Section has. caused much disappointment and hardship to rail users particularly, the senior citizens, pregnant women, agriculturists and people residing in delta region. Despite crores of rupees were spent for laying this newline, it has remained completely unutilised due to non-deployment of gatekeepers in its 72 manned railway gates and other essential staff.

I shall, therefore, humbly urge upon the Hon'ble Minister of Railways to take immediate necessary action for early resumption of train services on Karaikudi — Aranthangi — Peravurani — Pattukottai — Thiruthurainoondi — Tiruvarur (150 kms.) BG Section.

(ends)

Re: Need to provide adequate fertilizer to farmers in Chhattisgarh

श्री दीपक बैज (बस्तर): केन्द्र सरकार से इस वर्ष के खरीफ फसल हेतु रसायनिक उर्वरक यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के. और एस.एस.पी. की मांग समय रहते, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों के लिए किया है परंतु केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के सापेक्ष रसायनिक उर्वरक अत्यंत कम आपूर्ति कराई गई है, यह चिन्ता की बात है। इस कारण किसानों के समक्ष उर्वरक की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार अपने स्तर पर किसानों के हितों के लिए गोठान से आर्गनिक खाद उपलब्ध करा कर किसानों की फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की उपेक्षा से किसानों के हितों की केन्द्र सरकार अनदेखी कर रही है। सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि रासायनिक उर्वरकों हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के सापेक्ष किसानों के हितों को देखते हुए रासायनिक उर्वरक अविलम्ब उपलब्ध कराये।

(इति)

Re: Mekedatu project

DR. T. SUMATHY ALIAS THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): The proposed Mekedatu project would impound and divert the first component of uncontrolled flows due to Tamil Nadu, i.e. the flows coming in river Cauvery from the uncontrolled catchment of Kabini sub-basin downstream of Kabini reservoir, the catchment of mainstream of Cauvery river below Krishnarajasahara, uncontrolled flows from Simsha, Arkavathy and Suvernavathy sub-basins and various other small streams. Therefore, the implementation of Mekedatu project would certainly affect the interests of Tamil Nadu's farming community.

While the drawl of water from the river for drinking water usage in Bengaluru Metropolitan City has been permitted by the Hon'ble Court, citing that as the reason for constructing such a major reservoir at Mekedatu, which is too far away from Bengaluru Metropolitan area does not sound valid. Further, when Karnataka already has adequate infrastructure for drawing drinking water to meet the demand of Bengaluru Metropolitan area even now, the justification of the need for a reservoir with a storage capacity of 67.16 TMC just to utilize 4.75TMC as drinking water is not at all acceptable. This would definitely jeopardize the availability of water to Tamil Nadu.

Therefore, I urge the Union Government to intervene in this crucial issue and instruct the Karnataka Government not to pursue the Mekedatu project.

(ends)

Re: Reservation for women in Legislature

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Reservation for women in legislature is the need of hour and it is high time to implement 33% reservation for women. The issue was raised several times in the parliament. Despite making progressive comments, why is the government not ready to implement it? It sounds parochial.

The women reservation bill should be re-introduced in the house immediately. Progress of woman in a society will be measured by their participation in power system. Therefore, the Government of India must take deep interest in this matter. The Women reservation Bill in the house should be re-introduced as soon as possible.

(ends)

Re: Ban on single use plastic

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Our Hon'ble Prime Minister has announced a total ban on single use plastic. The Government is dragging its feet on implementation. A ban on plastic is good for domestic economy. Plastic as we all know is from fossil fuel which is 100% imported while the substitutes are paper, metal, glasses etc which are all available locally. This will help create local demand and decentralize economic activity like plastic wrappers for cigarette packets, packaging alcohol etc. Here plastic is used as cheap resource to preserve life of 10 or 20 cigarette while it sucks life out of people and planet.

Hence, I request the Government to start with ban on single use plastic for goods that contribute to ill health.

(ends)

Re: Price hike in respect of domestic gas, petrol and diesel

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): The price of LPG (14.2 Kg) cylinder has been hiked by Rs.25.50 with effect from 1st July, 2021 and reached Rs.863.00 from Rs.837.50 in Kakinada Parliamentary Constituency and similar hike made with little variation across all over India. As per new prices, a 14.2 kg cylinder price has been raised by Rs.140 in the last six months. On the other side, the cost of Petrol per litre has been hiked from Rs.90.33 to Rs.107.19 whereas Diesel from Rs.83.15 to Rs.99.66 since last 6 months. Hike in prices of Gas, Petrol & Diesel is impacting hike of essential needs i.e., Vegetables, Provisions & Consumer goods directly & indirectly. This is over burdening the common man especially in the current pandemic Covid period. Hence, I request the Government to take suitable action for control of price hike in respect of domestic gas, petrol and diesel for the benefit of common man.

(ends)

Re: Need to declare and develop Madhushrava in Arwal district in Bihar as a tourist place

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद के अंतर्गत अरवल जिले के कलेर में मधुश्रवा एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थल है लेकिन यहां पर्यटन सुविधाओं का विकास नही हो पाया है। मधुश्रवां महर्षि च्वयन ऋषि की जन्म स्थली है एवं यह ऐतिहासिक व धार्मिक आस्था का केन्द्र है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम भी गया पिंड दान करने जाते समय मधुश्रवां मंदिर में पूजा-पाठ किए थे। पुराणों में भी इस स्थल का महत्व दर्शाया गया है। बिहार में दो स्थानों पर लगने वाले मलमास मेला में एक यहां भी लगता है। जिसमें बिहार के कोने-कोने से लोग आकर भगवान मधेश्वर नाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना कर अपनी मंगल कामना की इच्छा करते हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में विकास की यहां अपार संभावनाएं हैं लेकिन इस क्षेत्र में विकास के लिए अपेक्षित पहल नहीं की गई है। इस पवित्र स्थल पर सरकार की ओर से इक्का-दुक्का भवन का निर्माण कराया गया है जो अपर्याप्त है। पीने का पानी व शौचालय तक की ठीक व्यवस्था नहीं है। इस स्थल की हालत बद से बदतर हो रही है।

ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के अनुकूल, इस स्थल का विकास होना अति आवश्यक है। मेरी सरकार से मांग है कि मधुश्रवा को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए एवं पर्यटन की सभी सुविधाएं विकसित किया जाए।

(इति)

Re: Need to shift the MNC in Gajaraula, Uttar Pradesh which had poisonous gas leakage in June 2020, to a place far from human settlements

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): मेरे संसदीय क्षेत्र में गजरौला स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी में 8 जून 2020 की रात में ज़हरीली गैस लीक हुई और सैकड़ों लोगों का जीवन ख़तरे में पड़ गया। इस तरह की दुर्घटनायें यहाँ आए दिन घटती रहती हैं।

शहर के एक निवासी ने NGT में एक याचिका दायर की थी और एक साल के बाद बुधवार 7 जुलाई 2021 को NGT ने इस कंपनी पर 10 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। लेकिन आम जनता जो परेशान है वो शिकायत लेकर कहाँ जाए? राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाई का अभाव हैं।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है? और मेरी मांग है कि जनता की जान एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थानांतरित किया जाये।

(इति)

کنور دانش علی (امروہہ): محترم چیرمین صاحب، میرے پارلیمانی حلقہ میں گجرولہ میں موجود ملٹی نیشنل کمپنی میں 8 جون، 2020 کی رات میں زہریلی گیس لیک ہوئی اور سیکڑوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اس طرح کے حادثات یہاں آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔

شہر کے ایک مقامی نے این۔جی۔ٹی۔ میں ایک یاچِکا دائر کی تھی اور ایک سال کے بعد 7 جولائی 2021 کو این۔جی۔ٹی۔ نے اس کمپنی پر 10 کروڑ روپئے کا جرمانہ لگایا ہے۔ لیکن عام جنتا جو پریشان ہے وہ شکایت لے کر کہاں جائے؟ ریاستی سرکار اور مقامی انتظامیہ کے ذریعہ اپیکشِت کاروائی کا ابھاوُ ہے۔

میں آپ کے ذریعہ سے جاننا چاہتا ہوں کہ سرکار نے اس معاملے میں کیا کاروائی کی ہے؟ اور میری مانگ ہے کہ عوام کی زندگی اور صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کمپنی کو آبادی والے علاقے سے دور منتقل کیا جائے۔۔

شکریہ

Re: Privatization of Visakhapatnam Steel Plant

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): The unwavering approach of the Union Government to privatize RINL is opposed by 5 crore people of AP. We have been raising this issue since long and employees, workers, JAC of trade unions have been demanding that GOI desist from privatizing VSP. Even the State Legislative Assembly passed a Resolution on 20th May, 2021, opposing the decision of GOI to privatize VSP.

Selling away a company if it incurs losses is not panacea for any ills. Our approach has to be pragmatic, holistic, humane and every decision has to be taken keeping in mind the people who are directly and indirectly dependent on it. With firming of steel prices, RINL is doing better and also earned profits in the last financial year. In view of the above, I urge GOI to first withdraw tender issued and secondly give RINL one more opportunity to prove itself by providing it necessary coal linkages.

(ends)

Re: Need to accord approval to the proposal for construction of roads under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Nagaur parliamentary constituency, Rajasthan

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): मा.अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के लिए PMGSY-III के अंतर्गत 23/12/2020 को पत्र संख्या 452 के माध्यम से तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जी को भेजे गये प्रस्तावो के क्रम मे नागौर,जायल,मुंडवा,डीडवाना,लाडनू,मकराना,परबतसर व नावा ब्लॉको की भेजी गई 348.5 किमी सड़को की जल्द से जल्द प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। लगातार पत्राचार के बाद भी भौगौलिक रूप से विस्तृत नागौर जिले की उक्त सड़को की स्वीकृति को अनावश्यक रूप से लंबित रखा जा रहा है,उक्त स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्रो के वो भाग जुड़ेंगे जो दशको से डामर सड़क व सुलभ रास्ते बनने की राह देख रहे है जबकि उक्त फेज के नागौर के अलावा राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रो मे सड़को के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं ऐसे मे उक्त स्वीकृति शीघ्र जारी की जाए ताकि गाँवो ढाणियों को सड़को से जोड़ने का विजन पूरा हो सके।

(इति)

माननीय सभापति: आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी सीट्स पर वापस चले जाएं। अगर जवाब मांगना है तो वहां से पूछिए।… (व्यवधान) Please ask whatever questions you want to ask but first please go back to your seats and then you can ask your questions from there.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति: सभा की कार्यवाही आज चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1402 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1600/RU/MY)

1600 hours

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (*Interruptions*)

(*At this stage, Prof. Sougata Ray, Shri Hibi Eden and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Most of you are responsible Members of this House. I would request all of you to go back to your seats and allow the House to function. I am told that the Government is agreeable to have a structured discussion in the House on the subjects you want to discuss. Please allow the House to function. As responsible Members of this House, I would request all of you to go back to your seats and allow the House to function.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 जुलाई, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1601 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 / 1 श्रावण, 1943 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।